आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रदीकरण वाद सं0– 130/2021

अंचल अधिकारी, खगड़िया.....वादी

बनाम

झिलिया नगरैन.....प्रतिवादी

आदेश

5.11.2021 प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी खगड़िया के पत्रांक 4344 दिनांक. 19.09.2021 एवं उसके साथ संलग्न रद्दीकरण वाद संख्या 04/21–22 के आदेशफलक के आलोक मे संधारित किया गया। प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत है:–

मौजा	रैयत	थाना सं0	तौजी	जं0 सं0	खाता	खेसरा	रकवा
धुसमुरी विशनपुर	झिलिया नगरैन जौ0– बदरी नागर	253	9724	93	212	1221	1–18–10
						1220	
						1108	
						905	
						896	

आवेदक अंचल अधिकारी खगड़िया उल्लेखित किये हैं कि प्रश्नगत भूमि का खाता गैरमजरूआ खास है। जिसके लिये अनियमित रूप से जमाबंदी संख्या 93 का गठन कर लिया गया है। अतः उन्होंने जमाबंदी संख्या 93 को रद्द करने की अनुशंसा किये हैं।

अंचल अधिकारी के वाद पत्र के साथ निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न किये गये है।

1. हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन।
2. खेसरा 1108 का क्रमिक खतियान की सत्यापित प्रति।
3. जमाबंदी संख्या 93 के पंजी 2 की सत्यापित छायाप्रति।

प्रस्तुत वाद में विपक्षी के मृत होने के कारण उनके उत्तराधिकारी राम शर्मा नोटिस प्राप्त किये हैं और वकालतन उपस्थित हुए। किन्तु उन्होंने कोई आपत्ति पत्र दाखिल नहीं किये जिससे प्रतीत होता है कि उनके पास आवेदक के कथन का खंडन करने हेतु कोई आधार नहीं है।

वाद के समुचित निष्पादन के लिये राजस्व कर्मचारी से विस्तृत जांच प्रतिवेदन भी प्राप्त किया गया जो अभिलेखबद्ध है। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन का विवेचन निम्न प्रकार है:–

1. अभिलेख पर उपलब्ध खतियान की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास है।
2. तथा इसकी कैफियत मकानमय सहन है। जो राजस्व कचहरी के रूप में व्यवहार में है। इस जमाबंदी संख्या 93 में प्रश्नगत खेसरा संख्या 1108 के अतिरिक्त अन्य 4 खेसराओं यथा 1221, 1220, 905 तथा 896 की भी रैयती जमीन है। जिसका कुल रकवा 01–18–10 है।

आदेश की कम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिक़ारी का हस्ताक्षर	अ... की कार्रवाइ... के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

3. इसकी पंजी 2 अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंजी 2 विपक्षी के नाम पर है। किन्तु उसका जमाबंदी संख्या "93 वाद में और अलग रौशनाई एवं हस्तलिपि में अंकित कर दिया है।" इस जमाबंदी में कुल 10 (दस) लगान रसीद निर्गत है। जिसकी पहली रसीद का वर्ष अस्पष्ट है। तथा दूसरी रसीद वर्ष 1987 में कुल 11 रूपया 02 पैसा वसूल है। जबकि इसका कुल मांग 1 रूपया 17 पैसा है। जो योग राशि स्पष्ट नहीं होता है कितने वर्षों की राशि वसूल है। इससे स्पष्ट होता है कि जमाबंदी में बकाया वसूली नहीं की गयी है। जमाबंदी में मांग 1 रूपया 17 पैसा का विवरण यथा मालशेष आदि भी नहीं है। इसके बावजूद पहली रसीद 11 रूपया 02 पैसा के लिये निर्गत होना दर्ज है। जो किसी भी तरह से तफसिल नहीं है क्योंकि जमाबंदी की मांग 01 रूपया 17 पैसा की दर्ज से यदि रहे वर्षो का मांग जोड़ा भी जाय तो यह राशि 11 रूपया 02 पैसा नहीं होता है और उसमें भी कोई तफसिल नही है।

इसी प्रकार आश्यचर्यजनक रूप से इस जमाबंदी पर खाता खेसरा भी दर्ज है। जिसके अनुसार इस जमाबंदी में कुल पांच खेसरा शामिल है। किन्तु खेसरा संख्या 1221 तथा 1108 स्पष्टतः परिलेखन करके दर्ज किया गया है।

सबसे ज्यादा आपत्ति जनक स्थिति यह है कि इस जमाबंदी पर कोई प्राधिकार अंकित नहीं है यदि यह मान भी लिया जाय जमाबंदी संख्या 93 की यह मौलिक प्रति है तो भी इसके मांग का गठन किये बगैर सीधे लगान रसीद निर्गत किया जाना इसकी अनियमितता को उजागर कर देता है। ऐसा प्रतीत होता कि यह जमाबंदी अन्य खेसराओं के लिये मौलिक जमाबंदी रही होगी। जिसके कुल रकवा 1–18–10 की मांग 01 रूपयाा 17 पैसा निर्धारित किया हुआ होगा। और वाद में खेसरा संख्या 1108 जो स्पष्टतः कुपरिलेखन किया गया प्रतीत होता है, कि शामिल करने के खातिर दर्ज कर लिया होगा।

चूंकि विपक्षी के तरफ से किसी प्रकार का लिखित आपत्ति अथवा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। इसलिये यह अवधारित किया जाता है कि उनके पास वाद पत्र के बिंदूओं को खंडित करने के लिये प्रर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

इसी प्रकार चूंकि इस जमाबंदी से 10 से अधिक लगान रसीद निर्गत है तथा उसका जमाबंदी कमांक 93 इसे मूल पंजी 2 में शामिल होने की संभावना को प्रकट करता है। किसी और विभागीय निदेश पत्रांक 925 दिनांक 11.10.94 में पुरानी जमाबंदी को खंडित करने का क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। इसलिये इस जमाबंदी को तत्काल अस्थाई रूप से तब तक के लिये स्थगित किया जाता है जब तक कि जमाबंदीदार इस जमाबंदी के सभी खेसराओं का वैधिक अधिकार पत्र अंचल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर देते है। किन्तु इसमें भी खेसरा संख्या 1108 का यदि कोई अधिकार प्रस्तुत भी किया जाता है तो यह वैद्यानिक रूप से मान्य नहीं होगा। और यह कूटरचित अथवा अनाधिकार ही अवधारित किया जायेगा। क्योंकि खेसरा संख्या 1108 खतियानी रूप से खास मालिकान के राजस्व कचहरी की जमीन है।

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	अतः उपर्युक्त के आलोक में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 8 के तहत मौजा धुसमुरी विशनपुर की जमाबंदी संख्या 93 में अनियमित रूप से दर्ज खेसरा 1108 को इस जमाबंदी से बाहर करते हुए सरकारी संपदा पंजी में दर्ज करने का आदेश अंचल अधिकारी को दिया जाता है। शेष खेसराओं के लिये अंचल अधिकारी यथा उपर्युक्त कार्रवाई करेंगे। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी खगड़िया को भेजे। लेखापित संशोधित। अपर समाहर्त्ता खगड़िया। 5/11/24 अपर समाहर्त्ता खगड़िया। डी० पी० क्र० 587 दिनांक 5/11/24 प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं उपर्युक्त आदेश का अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि - N.I.C खगड़िया को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित। 5/11/24 प्रभारी पदाधिकारी जिला [illegible] शाखा खगड़िया।	